



Disability Inclusion Act 2014 (विकलांगता समावेशन अधिनियम 2014) की वैधानिक समीक्षा

चर्चा पत्र

जनवरी 2020



विषय-वस्तु

1 हम Disability Inclusion Act 2014 (NSW) की समीक्षा कर रहे हैं	3
1.1 NSW में वर्तमान में चल रही विकलांगता समीक्षाएँ और संशोधन	3
1.2 अधिनियम के बारे में	5
1.3 आप अपने विचार कैसे प्रकट कर सकते/सकती हैं	6
2 अधिनियम की शुरुआत कैसे हुई और NDIS	8
2.1 प्रारम्भिक सलाह-मशवरे और अधिनियम की शुरुआत	8
2.2 अधिनियम और यू.एन. संधिपत्र	8
2.3 National Disability Insurance Scheme (NDIS)	9
3 अधिनियम में क्या हासिल करना निर्धारित किया गया था	10
4 अधिनियम में विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए अधिकार	11
5 NSW में विकलांगता समावेश नियोजन	13
5.1 State Disability Inclusion Plan	13
5.2 NSW Disability Inclusion Plan की समीक्षा करना	14
5.3 Disability Inclusion Action Plans	15
6 Disability Council NSW	18
6.1 Disability Council क्या करती है	18
6.2 Disability Council का भाग कौन है?	19
7 समर्थनों और सेवाओं के लिए वित्त-पोषण	20
7.1 यह सुनिश्चित करना कि प्रदाता मानकों के समूह को पूरा करते हैं	20
7.2 समर्थन और सेवाएँ	20
8 विविध प्रावधान	23

1

हम Disability Inclusion Act की समीक्षा कर रहे हैं

[Disability Inclusion Act 2014](#) (NSW) (अधिनियम) की शुरुआत 3 दिसम्बर 2014 को हुई थी - विकलांगता से पीड़ित लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस अधिनियम ने पुराने Disability Services Act 1993 का स्थान लिया है।

हम (NSW Department of Communities and Justice), Families, Communities and Disability Services के मंत्री, माननीय Gareth Ward MP की ओर से इस अधिनियम की समीक्षा कर रहे हैं।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की समीक्षा कर रहे हैं कि अधिनियम ने अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं या नहीं। समीक्षा में यह विचार किया जाएगा कि अधिनियम को नवीन स्थिति में लाने के लिए क्या बदले जाने की ज़रूरत है।

अधिनियम कई तरीकों से समुदाय में विकलांगता से पीड़ित लोगों के समावेश और सहभागिता का प्रसार करता है। वर्तमान में अधिनियम:

- राज्य की विकलांगता योजना (State Disability Plan) के विकास को आवश्यक बनाता है
- सरकारी निकायों के लिए यह आवश्यक करता है कि वे विकलांगता समावेशी कार्यवाही योजनाएँ बनाएँ, और
- Disability Council NSW को विकलांगता से पीड़ित लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों पर मंत्री को सलाह देता है।

1.1 NSW में वर्तमान में चल रही विकलांगता समीक्षाएँ और संशोधन

NSW Ageing and Disability Commissioner

NSW Ageing and Disability Commissioner (NSW वयोवृद्धि और विकलांगता आयुक्त) का इस राज्य में प्रत्येक वयोवृद्ध व्यक्ति और विकलांग वयस्क के लिए एक लक्ष्य है। आयुक्त यह चाहते हैं कि ऐसे लोग अपने घर और समुदाय में सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण महसूस करें।

आयुक्त वयोवृद्ध लोगों और विकलांगता से ग्रस्त वयस्कों की बेहतर सुरक्षा के लिए अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं के साथ करीबी से काम करेंगे। विशेषकर किसी जानकार से किए जाने वाले दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण से। यह व्यवहार किसी मित्र, परिजन, पड़ोसी या समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो सकता है।

NSW में विकलांगता पक्षसमर्थन की समीक्षा

NSW Ageing and Disability Commission पूरे राज्य में विकलांगता पक्षसमर्थन के प्रयोजन, प्रकार्यों और भविष्य की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझने के लिए समीक्षा का आयोजन कर रहा है। समीक्षा में स्वतंत्र विशेषज्ञ पक्षसमर्थन के लिए इन क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाएगा, इसमें पूरे NSW में विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए जानकारी और प्रतिनिधित्व संस्थाएँ शामिल हैं। समीक्षा में इस पर भी गौर किया जाएगा कि पक्षसमर्थन वित्त-पोषण और सेवाओं को कैसे प्रदान किया जाता है, और भविष्य के लिए सुझाव दिए जाएँगे।

NSW की सरकार के भीतर रोज़गार और समावेशन

विकलांगता से पीड़ित लोग सामाजिक और आर्थिक जीवन में पूर्ण रूप से समावेश करने में बाधाओं का सामना करते हैं। NSW के सरकारी क्षेत्र में विकलांगता से पीड़ित लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने, और कार्यबल की सहभागिता के लिए अवसरों को अधिक से अधिक करने का यह अर्थ होगा कि विकलांगता से पीड़ित और अधिक लोगों को रोज़गार के अवसरों और इसके फलस्वरूप होने वाले वित्तीय और अन्य लाभों तक पहुँच प्राप्त होगी।

इसलिए NSW अपने सरकारी क्षेत्र में विकलांगता से पीड़ित लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है और सक्रिय रूप से विविधता के मुख्य लक्ष्यों के माध्यम से एक विश्व स्तरीय सरकारी सेवा स्थापित करने की वर्तमान प्रीमियर की प्राथमिकता पर काम कर रहा है, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि 2025 तक सरकारी क्षेत्र की 5.6% भूमिकाओं पर विकलांगता से पीड़ित लोग नियुक्त किए जाते हैं।

NSW की सरकार टीमों और कार्यस्थलों की संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें अपने कार्यबल में विकलांगता से पीड़ित लोगों की संपूर्ण सहभागिता को बढ़ावा देने और ऐसे कर्मचारियों को बनाए रखने की ज़रूरत है जो अपने रोज़गार के दौरान विकलांगता से ग्रस्त हुए हों।

नियामक अभ्यास और व्यवहारिक समर्थन

NSW अपने यहाँ संचालन करने वाले NDIS रजिस्टर्ड प्रदाताओं के लिए सीमित अभ्यास प्राधिकरण प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है और हाल ही में हमारे यहाँ एक नियामक अभ्यास प्राधिकरण नीति (Restrictive Practices Authorisation Policy) और नियामक अभ्यास प्राधिकरण कार्यात्मक निर्देशिका (Restrictive Practices Authorisation Procedural Guide) तैयार की गई है, ताकि NSW में प्रदाताओं को नियामक अभ्यास के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने से सम्बन्धित अपनी जिम्मेदारियों की सूचना दी जा सके।

1 जुलाई 2018 से पूरे NSW में गुणवत्ता, सुरक्षा और रिपोर्टिंग प्रबंधों से सम्बन्धित सूचना सत्रों का आयोजन किया गया है।

NSW में National Disability Insurance Scheme

विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए व्यक्तिगत समर्थनों के लिए विशेषज्ञ विकलांगता सेवाओं के लिए NSW सरकार की फंडिंग अब National Disability Insurance Scheme (NDIS) (राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

25 मई 2018 को, कॉमनवेल्थ और न्यू साउथ वेल्स की सरकारों में National Disability Insurance Scheme पर एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। NSW में संपूर्ण योजना में अवस्थांतर जुलाई 2016 से लेकर जून 2018 तक दो चरणों में हुआ। संपूर्ण योजना की शुरुआत जुलाई 2018 से हुई।

Information, Linkages and Capacity Building - ILC (सूचना, संपर्क और क्षमता निर्माण) NDIS

ILC पूरी तरह से समावेश के बारे है - यह विकलांगता से ग्रस्त और उन समुदायों के बीच संबंध स्थापित करने के बारे में है जहाँ वे निवास करते हैं। शेष NDIS के असमान, ILC अलग-अलग व्यक्तियों को फंडिंग प्रदान नहीं करती है। ILC संस्थाओं को समुदाय में ऐसी परियोजनाएँ प्रदान करने के लिए ग्रांट्स (अनुदान) देती है जिनसे विकलांगता से पीड़ित सभी लोगों, उनके देखभालकर्ताओं और परिवारों को लाभ मिलता है।

Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability

5 अप्रैल 2019 को, प्रधानमंत्री, माननीय Scott Morrison MP, और उस समय के Families and Social Services मंत्री, Paul Fletcher MP माननीय ने Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability की घोषणा की थी। आयुक्तों को विकलांगता से ग्रस्त लोगों के साथ की जाने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण की जांच-पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस जांच-पड़ताल में विकलांगता से ग्रस्त लोगों के साथ, सभी परिसरों और संदर्भों में, होने वाली हिंसा के सभी प्रकार, उनके साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण शामिल है।

National Disability Strategy

National Disability Strategy (कार्यनीति) कॉमनवेल्थ, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों द्वारा Council of Australian Governments (COAG) के साथ सहभागिता में तैयार की गई थी, और यह कार्यनीति विकलांगता से ग्रस्त ऑस्ट्रेलियाई लोगों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं के जीवन में सुधार करने के लिए दस-वर्षीय राष्ट्रीय योजना तय करती है।

यह कार्यनीति National People with Disabilities and Carer Council द्वारा 2008-09 में की गई व्यापक सलाह-मशवरे के और Shut Out में रिपोर्ट किए गए निष्कर्षों पर आधारित है: The Experience of People with Disabilities and their Families in Australia (2009).

कार्यनीति 2020 के अंत में समाप्त होगी और पूरे ऑस्ट्रेलिया में सरकारें 2020 से आगे के लिए एक नई कार्यनीति तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। सलाह-मशवरे के पहले चरण का आयोजन अप्रैल और जून 2019 में किया गया था। 2020 की शुरुआत में और अधिक सलाह-मशवरों का आयोजन किया जाएगा और हम अगली कार्यनीति के लिए प्राथमिकताओं और कार्यवाहियों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए हर किसी को प्रोत्साहित करते हैं।

2011 में वर्तमान कार्यनीति की शुरुआत के बाद से विकलांगता नीति और सेवा सुपुर्दगी में बहुत बदलाव हुए हैं। हाल ही में हुई स्वतंत्र समीक्षा ने यह दर्शाया है कि वर्तमान कार्यनीति के कई भाग अच्छे से काम कर रहे हैं और कार्यनीति के संपूर्ण सिद्धांत और लक्ष्य उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। समीक्षा ने यह भी दर्शाया कि अभी भी कुछ सुधार किया जा सकता है, विशेषकर कार्यनीति को लागू करने के संबंध में।

नई कार्यनीति बदलते नीति परिसर को दर्शाती है और वर्तमान में उपलब्ध व साथ ही अगले दशक में सम्भवतः उभरने वाले अवसरों को और मज़बूत करती है, इसमें National Disability Agreement की Productivity Commission's Review से मिले निष्कर्षों पर गौर करना शामिल है।

1.2 अधिनियम के बारे में

अधिनियम एक ऐसे समाज का निर्माण करने के बारे में जो समुदाय में विकलांगता से ग्रस्त लोगों की समानता और समावेश की कद्र करता है। यह विषयों और सिद्धांतों का स्पष्ट वक्तव्य निर्धारित करता है जो विकलांगता से ग्रस्त लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के संधिपत्र के अनुरूप है।

अधिनियम:

- विकलांगता से ग्रस्त लोगों को उन्हें दिए जाने वाले समर्थनों और सेवाओं से सम्बन्धित चयन और नियंत्रण करने का अवसर देता है
- सरकारी निकायों के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वे विकलांगता समावेशी कार्यवाही योजनाएँ तैयार करें
- यह सुनिश्चित करता है कि Disability Council NSW विकलांगता से ग्रस्त लोगों का प्रतिनिधित्व करना जारी रखती है
- ने यह सुनिश्चित किया कि National Disability Insurance Scheme (NDIS)की शुरुआत किए जाने के साथ-साथ विकलांगता से ग्रस्त लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ और समर्थन प्राप्त हुआ।

आप इस चर्चा पत्र में अधिनियम के बारे में और अधिक पता लगा सकते/सकती हैं।

चर्चा पत्र के बारे में

चर्चा पत्र समीक्षा प्रक्रिया का पहला भाग है। यह इस बारे में जानकारी देता है कि अधिनियम के प्रत्येक भाग का क्या काम है।

हमने सवाल शामिल किए हैं ताकि आप हमें बता सकें कि आपको क्या लगता है कि अधिनियम कैसे कार्य कर रहा है।

जैसा कि उपरोक्त अनुभाग में पहचान की गई है, वर्तमान में विकलांगता क्षेत्र में समावेशन गतिविधि पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यह चर्चा पत्र विशिष्ट तौर पर Disability Inclusion Act 2014 (NSW) के बारे में पूछता है।

1.3 आप अपने विचार कैसे प्रकट कर सकते/सकती हैं

हम आपके विचार जानना चाहते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग सभी लोगों के विचार जानें ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि अधिनियम यह दर्शाता है कि समावेशी समुदायों का समर्थन करने के लिए क्या आवश्यक है। हम हर किसी को अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, विशेषकर:

- विकलांगता से ग्रस्त लोगों को
- देखभालकर्ताओं को
- विकलांगता सेवा प्रदाताओं को
- समुदाय के सदस्यों को
- स्थानीय काउंसिलों को।

ऑनलाइन सर्वेक्षण

आप DCJ की वेबसाइट पर [ऑनलाइन सर्वेक्षण](#) पूरा करके इस चर्चा पत्र में दिए गए सवालों का जवाब दे सकते/सकती हैं।

लिखित सम्मिशन (प्रस्तुतियाँ)

यदि आप एक लिखित सम्मिशन के द्वारा अपनी फीडबैक (प्रतिक्रिया) भेजना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया NSWDIP@facets.nsw.gov.au पर ई-मेल करें या डाक से इस पते पर भेजें:

Department of Communities and Justice, Locked Bag 4028, Ashfield, NSW 2131.

कार्यशालाएँ

हम कार्यशालाओं और राउंडटेबल चर्चाओं का आयोजन करने की भी योजना बना रहे हैं। आप DCJ की वेबसाइट से इनके बारे में अपडेट रह सकते/सकती हैं।

समाप्ति की तिथि

सभी सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएँ, लिखित सब्मीशन और हमारी कार्यशालाओं से मिलने वाली फीडबैक 30 मार्च 2020 की शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

आपकी फीडबैक के साथ क्या होता है?

आपकी फीडबैक पर गौर किया जाएगा और यह समीक्षा में एक रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। यह रिपोर्ट अधिनियम की धारा 51 के तहत की आवश्यकता के अनुसार NSW की संसद में प्रस्तुत की जाएगी।

आपके द्वारा हमें दी जाने वाली कोई औपचारिक फीडबैक हमारी जन वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यदि आप चाहते/चाहती हैं कि आपके व्यक्तिगत विवरण या आपकी सब्मीशन का कोई भाग प्रकाशित न किया जाए तो आप हमें बता सकते/सकती हैं। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप इसके कारण हमें बताते हैं।

ई-मेल में अपने आप से उत्पन्न होने वाले गोपनीयता वक्तव्य को औपचारिक सलाह के तौर पर नहीं माना जाएगा।

कृपया ध्यान दें: यदि आप हमें अपनी जानकारी गोपनीय रखने के लिए कहते/कहती हैं, तो हम ऐसा करने का श्रेष्ठ प्रयास करेंगे, परन्तु हम आपकी जानकारी को गोपनीय रखने के लिए वायदा नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी कानून या लोकहित यह आवश्यक बनाता है कि हम आपकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संगठन को दें। इसकी एक उदाहरण वह परिस्थिति है जब कोई व्यक्ति Government Information (Public Access) Act 2009 के अधीन सूचना के लिए निवेदन करता है।

और अधिक जानकारी

समीक्षा और इस बारे में सम्बन्धित और अधिक जानकारी के लिए कि आप भाग कैसे ले सकते/सकती हैं, कृपया NSWDIP@facss.nsw.gov.au पर ई-मेल करें या 02 9716 3429 पर फोन करें।

2

अधिनियम की शुरुआत कैसे हुई और NDIS

2.1 प्रारम्भिक सलाह-मशवरे और अधिनियम की शुरुआत

पूरे NSW में हज़ारों लोगों ने फीडबैक देकर अधिनियम को सूचित करने में सहायता की। इसकी शुरुआत 2011 में Living Life My Way सलाह-मशवरों के साथ हुई। इस प्रक्रिया के माध्यम से 4000 से अधिक व्यक्तियों को अपने विचार सांझे करने का अवसर मिला।

2013 की शुरुआत में, करीब 600 लोगों ने Disability Services Act 1993 (NSW) की समीक्षा की चर्चा करने के लिए आमने-सामने के सलाह-मशवरों में भाग लिया। हमें 64 लिखित सब्मीशन भी मिले।

दिसम्बर 2013 में, हमने Disability Inclusion Bill 2014 (NSW) के एक्सपोज़र ड्राफ्ट को फीडबैक के लिए जारी किया। हमें 90 से अधिक लिखित सब्मीशन मिले। हमने निम्नलिखित व्यक्तियों/संगठनों से उनके विचार सुने:

- विकलांगता से ग्रस्त लोगों, उनके परिवारों व देखभालकर्ताओं से
- पीक बॉडीज़ (पक्षसमर्थन समूहों से)
- सेवा प्रदाताओं से
- अन्य संस्थाओं से।

सलाह-मशवरे की इस प्रक्रिया के दौरान, हमने यह विचार सुने कि एक नई वैधानिक संरचना की ज़रूरत थी। इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम ने अधिकार-आधारित समावेशी संरचना की शुरुआत की।

अधिनियम ने और अधिक अनुकूलनशील, व्यक्ति-केन्द्रित विधि का समर्थन किया। इसे विकलांगता से ग्रस्त लोगों को अपने खुद के समर्थनों और सेवाओं पर चयन और नियंत्रण देने के लिए तैयार किया गया था।

2.2 अधिनियम और यू.एन. संधिपत्र

2008 में, ऑस्ट्रेलिया ने विकलांगता से ग्रस्त लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के संधिपत्र (यू.एन. संधिपत्र) पर बाध्य होने की सहमति दी।

यू.एन. संधिपत्र इस बात की पहचान करता है कि विकलांगता से ग्रस्त लोगों के साथ समुदाय के किसी अन्य सदस्य के समान ही बर्ताव किया जाना चाहिए। यह इस बात का प्रचार करता है कि विकलांगता से ग्रस्त लोग सभी मानवाधिकारों का आनन्द लेने और इन अधिकारों की सुरक्षा किए जाने के पात्र होते हैं।

अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि NSW में विकलांगता सेवाओं के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम यू.एन. संधिपत्र के साथ संरेखित हैं।

अधिनियम यू.एन. संधिपत्र में दी गई 'विकलांगता' की परिभाषा का प्रयोग करता है।¹ इसमें विकलांगता के वर्णन में दीर्घावधि के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक या संवेदनात्मक विकार से ग्रस्त व्यक्ति शामिल है, जिसकी विभिन्न बाधाओं से परस्पर क्रिया करने के संबंध में, समाज में अन्य लोगों की समान तुलना में उस व्यक्ति की पूर्ण और प्रभावी सहभागिता में रुकावट पहुँचे।²

¹ विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की संधि, अनुच्छेद 1।

² Disability Inclusion Act 2014 (NSW) की धारा 7 (परिभाषाएँ)।

2.3 National Disability Insurance Scheme (NDIS)

NDIS की स्थापना National Disability Insurance Scheme Act 2013 (Cth) (NDIS Act) के अधीन की गई है

NDIS अधिनियम विकलांगता से ग्रस्त पात्र लोगों को उनकी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर व्यक्तिगत फंडिंग पैकेज प्रदान करता है। इससे उन्हें व्यक्तिगत योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्राप्त होने वाले विकलांगता समर्थनों और सेवाओं पर विकल्प लेने और नियंत्रण करने का अवसर मिलता है।

यह गुणवत्ता मानकों और सुरक्षा उपायों की संरचना निर्धारित करती है। विकलांगता समर्थनों और सेवाओं के प्रदाताओं के लिए यह ज़रूरी है कि वे NDIS के लिए रजिस्टर करने हेतु इन्हें पूरा करें।

NDIS अधिनियम ने कार्यान्वयन और प्रशासन पर नज़र रखने के लिए National Disability Insurance Agency की भी स्थापना की। NDIS Quality and Safeguards Commission यह सुनिश्चित करता है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा और गुणवत्ता मानक अनुरूप हैं।

1 जुलाई 2019 से, NDIS ने सभी राज्यों और राज्य-क्षेत्रों में पूरी तरह संचालन करना शुरू कर दिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अलावा जहाँ इसकी शुरुआत 2020 के मध्य-भाग में होने की उम्मीद है।

30 सितम्बर 2019 तक, NSW में विकलांगता से ग्रस्त 1,06,819 लोग अनुमोदित योजनाओं के अधीन NDIS में सक्रिय सहभागी हैं।

3

अधिनियम का उद्देश्य क्या हासिल करना है

अधिनियम की धारा 3 यह निर्धारित करती है कि अधिनियम का लक्ष्य क्या हासिल करना है। विषय इस प्रकार हैं:

- क) यह स्वीकार करना कि विकलांगता से ग्रस्त लोगों के समुदाय के अन्य सदस्यों के समान मानवाधिकार हैं और राज्य व समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि वे उन अधिकारों को अमल में लाना सुगम बनाना
- ख) विकलांगता से ग्रस्त लोगों की स्वतंत्रता और सामाजिक व आर्थिक समावेशन का प्रचार करना
- ग) विकलांगता से ग्रस्त लोगों को उनके लक्ष्यों को हासिल करने में विकल्प लेने और नियंत्रण देने के अवसर देना तथा उनके समर्थनों व सेवाओं का नियोजन और सुपुर्दगी
- घ) विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए समर्थनों और सेवाओं की सुपुर्दगी के संबंध में सुरक्षा उपाय प्रदान करना
- ङ) यथोचित तरीके से व्यवहार्य सीमा तक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की संधिपत्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों का समर्थन करना
- च) National Disability Insurance Scheme के अवस्थांतर के दौरान और इसके पश्चात राज्य की जिम्मेदारियाँ प्रदान करना।

ये विकलांगता से ग्रस्त लोगों के मानवाधिकारों को विशिष्ट रूप से दर्शाते हैं, इनमें अपने लिए गरिमा, सम्मान और विकल्प के अधिकार शामिल हैं। वे आज भी वैध हैं।

परन्तु, NDIS के कारण कुछ विषयों का पुनःआकलन किए जाने की ज़रूरत है। NDIS के अधीन, ऑस्ट्रेलिया की सरकार NSW में विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए विकलांगता समर्थनों और सेवाओं की सुपुर्दगी को विनियमित करती है तथा उन सेवाओं के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संरचनाओं का प्रबंध करती है।

सवाल 1 और 2 अधिनियम के विषयों और सिद्धांतों के बारे में पूछ रहे हैं। यह अधिनियम का पहला भाग है जो विकलांगता से ग्रस्त लोगों का समावेश करने के सबसे महत्वपूर्ण अंश निर्धारित करता है। सवाल 1 और 2 यह पूछ रहे हैं कि क्या सभी महत्वपूर्ण विशिष्टताएँ शामिल की गई हैं या नहीं।

सवाल 1:

Disability Inclusion Act 2014 की धारा 3 में दर्शाए विषयों में क्या बदलाव किए जाने चाहिए?
क्या कुछ ऐसा है जिसे आप विषयों में शामिल कराए जाना चाहते/चाहती हैं?

4

अधिनियम में विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए अधिकार

अधिनियम की धारा 4 उन सिद्धांतों को निर्धारित करती है जो विकलांगता से ग्रस्त लोगों को निम्नलिखित अधिकार देती है:

- व्यक्ति-विशेष के तौर पर अपनी क्रदर और गरिमा के लिए सम्मान
- सामाजिक और आर्थिक जीवन में भाग लेना और योगदान देना तथा इन्हें अपने कौशल और अनुभव का विकास करने और इसे बढ़ाने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए,
- अपनी शारीरिक, सामाजिक, यौन, प्रजनन, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं का अहसास करना
- समुदाय के अन्य सदस्यों की तरह ही अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार ऐसे फैसला लेना जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं (इसमें खतरे से सम्बन्धित फैसले शामिल हैं) और यदि वे चाहें या उन्हें समर्थन की ज़रूरत हो तो वे फैसले लेने में उनका समर्थन किए जाना
- उनकी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, आयु, लैंगिक, यौन अभिविन्यास और धार्मिक विचारधाराओं के लिए सम्मान
- उनकी गुप्तता और गोपनीयता का सम्मान किए जाना
- अवहेलना, दुर्व्यवहार और शोषण से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करना
- जानकारी तक एक ऐसे तरीके से पहुँच प्राप्त करना जो उनकी विकलांग और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए उचित हो, और उन्हें सुविज्ञ विकल्प लेने में सक्षम बनाती हो
- समुदाय के अन्य सदस्यों के समान ही शिकायत करना
- विकलांगता से ग्रस्त लोगों के जीवन में परिवारों, देखभालकर्ताओं और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अहम भूमिका की अभिस्वीकृति और सम्मान, और परिवारों तथा देखभालकर्ताओं और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संबंध बनाए रखने की महत्ता
- जैसे-जैसे विकलांगता से ग्रस्त बच्चे परिपक्व होते हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए सम्मान, और समुदाय के समान सदस्यों के तौर पर उनके अधिकारों के लिए सम्मान
- जैसे-जैसे विकलांगता से ग्रस्त लोग बूढ़े होते हैं, उनकी बदलती क्षमताओं, सामर्थ्य, लक्ष्यों और आवश्यकताओं के लिए सम्मान

विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के विशिष्ट समूहों के लिए अधिकार

अधिनियम की धारा 5 और अधिक सिद्धांत निर्धारित करती है जो विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के विशेष समूहों की ज़रूरतों की पहचान करते हैं। इनमें शामिल हैं:

- एबोरिजलन और टोरस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग
- अल्पसंख्यक सांस्कृतिक और भाषाई समूह
- महिलाएँ
- बच्चे।

यह सुनिश्चित करना की उचित लोग सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं

धारा 6 उन सेवा प्रदाताओं और अन्य संस्थाओं को इन सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए कहती है जिनका कार्य अधिनियम के तहत आता है। इनमें सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं जिन्हें विकलाँगता समावेशी कार्यवाही योजनाएँ तैयार करनी चाहिए।

सवाल 2:

क्या अधिनियम की धारा 4 और धारा 5 में शामिल सामान्य सिद्धांत विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के लिए आधुनिक अभ्यास और नीति को निर्देशित करने वाले सिद्धांतों को पर्याप्त रूप से शामिल करते हैं या नहीं? क्या कोई ऐसे अतिरिक्त सिद्धांत हैं जो आपको लगता है कि यहाँ शामिल किए या हटाए जाने चाहिए?

5.1 State Disability Inclusion Plan

अधिनियम की धाराओं 10 और 11 के भाग के तौर पर, NSW की सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह चार-वर्षीय State Disability Inclusion Plan (राज्य विकलांगता समावेशी योजना) विकसित करे। अधिनियम यह कहता है कि योजना में यह निदेशित होना चाहिए कि पूरी सरकार किस प्रकार विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए समावेशी समुदायों की ओर काम करती है। इसे यह भी बताना चाहिए कि मुख्यधारा सेवाओं और सामुदायिक सुविधा-केन्द्रों तक पहुँच कैसे बेहतर हो सकती है।³

[NSW Disability Inclusion Plan](#) (NSW DIP) का शुभारम्भ 26 फरवरी 2015 को किया गया था। योजना यह सुनिश्चित करने के प्रति हमारी वचनबद्धता है कि विकलांगता से ग्रस्त लोगों के पास हर किसी अन्य व्यक्ति के समान अवसर हैं। यह उन बाधाओं की पहचान करके उन्हें भंग करती है जो ऐसा होना में विघन पैदा करते हैं।

योजना ऑस्ट्रेलियाई [National Disability Strategy](#) और यू.एन. संधिपत्र के तहत दायित्वों से संरेखित है। NSW DIP चार कार्यवाही क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करती है जिनकी पहचान विकलांगता से ग्रस्त लोगों, NSW की सरकार और समुदाय द्वारा की गई है। कार्यवाही के ये क्षेत्र हैं:

1. सकारात्मक सामुदायिक प्रवृत्तियों और व्यवहारों का विकास करना
2. रहने योग्य समुदायों का निर्माण करना
3. अर्थपूर्ण रोज़गार तक पहुँच का समर्थन करना, और
4. बेहतर प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से मुख्यधारा सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाना।

NSW DIP के अधीन नए प्रस्तावों में शामिल हैं:

- ABC TV के लिए Employable Me सीरिज़
- रोज़गारदाताओं के लिए प्रशिक्षण पैकेजिस और जागरुकता अभियान
- समावेशी पर्यटन कार्यनीतियाँ
- सामुदायिक-आधारित सहभागिताएँ और अनुदान
- रोज़गारदाता और कर्मचारी संपर्क
- प्रगति के निदेशन के लिए नई कमेटियाँ, योजनाएँ और अनुबंध।

³ Disability Inclusion Act 2014 (NSW) की धारा 10।

5.2 NSW Disability Inclusion Plan की समीक्षा करना

जून 2018 में, हमने Sax Institute से NSW DIP की पहली चार-वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा करने का निवेदन किया। अधिनियम के तहत यह समीक्षा आवश्यक थी। Sax Institute ने युनिवर्सिटी ऑफ सिडनी पर Centre for Disability Policy and Research के साथ सहभागिता की।

हम यह समझना चाहते थे कि क्या NSW DIP में निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित कार्यों के द्वारा विकलांगता से ग्रस्त लोगों का समर्थन करते हैं:

- समावेशी समुदायों का निर्माण करने के द्वारा
- मुख्यधारा सेवाओं और सुविधाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने के द्वारा

समीक्षा के भाग के तौर पर, हमने मौजूदा दस्तावेज़ों पर ध्यान दिया और 150 से अधिक हितधारकों से उनके विचार सुने। इसमें निम्नलिखित से जुड़े लोग शामिल थे:

- NSW की सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोग
- स्थानीय काउंसिल
- पीक बॉडीज़ (पक्षसमर्थन समूहों से)
- सामुदायिक संगठनों से जुड़े लोग
- विकलांगता क्षेत्र की संस्थाओं से जुड़े लोग
- विकलांगता ग्रस्त लोग।

समीक्षा में यह पता लगाया गया कि हम NSW DIP के लक्ष्यों को हासिल करने में प्रगति कर रहे हैं। परन्तु, अभी भी और अधिक काम किए जाने की ज़रूरत है। हमें पूरे NSW की सरकारी संस्थाओं और स्थानीय काउंसिलों के साथ बेहतर तरीके से तथा अधिक अनुरूपता से काम करने की ज़रूरत है। केवल तभी हम लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होंगे। समीक्षा की रिपोर्ट और इसके मुख्य निष्कर्ष NSW संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

वर्तमान अधिनियम NSW के लिए यह आवश्यक बनाता है कि यहाँ State Disability Inclusion Plan हो। निम्नलिखित सवाल से यह पूछा जा रहा है कि क्या यह अभी भी महत्वपूर्ण है और योजना में क्या शामिल किए जाने की ज़रूरत है।

सवाल 3:

क्या State Disability Inclusion Plan से संबंधित प्रावधान अभी भी सही और प्रासंगिक हैं?
क्या आपको लगता है कि राज्य योजना आवश्यक है, और यदि हाँ, तो आपको क्या लगता है कि योजना में शामिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है?

5.3 Disability Inclusion Action Plans

अधिनियम की धारा 12 Disability Inclusion Action Plans (DIAP) के बारे में है। ये योजनाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि विकलांगता से ग्रस्त लोगों को शामिल किया जाता है और वे पूरी तरह से समुदाय में भाग ले सकते हैं।

केवल उन सरकारी संस्थाओं के लिए DIAPs तैयार करना ज़रूरी है जो 'सरकारी प्राधिकरण' होती हैं। सरकारी प्राधिकरणों के बारे में और अधिक जानकारी नीचे उपलब्ध है।

योजनाएँ NSW DIP के साथ सुसंगत होनी चाहिए। सरकारी प्राधिकरणों के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने द्वारा उठाए जाने वाले कदम निर्धारित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांगता से ग्रस्त लोगों के पास निम्नलिखित तक पहुँच है:

- सामान्य समर्थन और मुख्यधारा सेवाएँ
- विशिष्ट समर्थन
- समुदाय के भीतर इमारतें, सुविधा-केन्द्र और सूचना
- रोज़गार के अवसर।

धारा 12 यह कहती है कि विकलांगता से ग्रस्त लोगों के साथ सलाह-मशवरा किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि DIAPs सही प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

DIAP किसके लिए होना आवश्यक है?

अधिनियम की धारा 7 में सरकारी प्राधिकरण को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है:

- एक सरकारी विभाग – Government Sector Employment Act 2013 की अनुसूची 1, भाग 1 देखें। वर्तमान में आठ सरकारी विभाग हैं।
- एक स्थानीय काउंसिल
- Disability Inclusion Regulation 2014 में उल्लिखित एक इकाई, इसमें शामिल हैं:
 - Australian Museum Trust
 - Destination NSW
 - Library Council of New South Wales
 - Office of Finance and Services.(ध्यान दें: Office of Finance and Services अब एक सरकारी विभाग के अंतर्गत आता है और इसलिए विनियम का खण्ड 5(d) अब निरर्थक है)।

NSW के सभी सरकारी विभागों के लिए 1 दिसम्बर 2015 तक अपने DIAPs स्थापित करना ज़रूरी था, और सभी स्थानीय काउंसिलों के लिए 1 जून 2017 तक अपने अपने DIAPs स्थापित करना ज़रूरी था। अन्य संस्थाएँ जिन्हें सरकारी विभाग नहीं माना जाता है, उनके लिए DIAP विकसित करना ज़रूरी नहीं है। इनमें शामिल हैं:

- Institute of Sport
- TAFE NSW
- Information and Privacy Commission.

कई संस्थाएँ ऐसी भी थीं जिनके लिए DIAP विकसित करना ज़रूरी नहीं था, परन्तु उन्होंने फिर भी विकलांगता समावेशी नियोजन में भाग लिया। यह Sax Institute द्वारा NSW DIP की समीक्षा में दर्शाया गया था।

यह सुनिश्चित करना कि DIAPs अपना काम ठीक से कर रहे हैं

धारा 13 के अधीन सरकारी प्राधिकरणों के लिए यह ज़रूरी है कि वे हर वित्तीय वर्ष में अपने DIAPs की प्रगति की सूचना मंत्री को दें। यह आम-तौर पर उनकी वार्षिक रिपोर्ट का भाग होता है।

धारा 13 मंत्री महोदय के लिए यह आवश्यक बनाती है कि वह हर वित्तीय वर्ष में DIAPs की प्रगति की सूचना संसद में पेश करें।

NSW DIP के समान ही, हर चार वर्ष बाद सभी DIAPs की समीक्षा की जानी चाहिए। धारा 14 आगे यह भी आवश्यक बनाती है कि अपने DIAPs की समीक्षा करने में प्रत्येक सरकारी प्राधिकरण को सेक्रेटरी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए।

सवाल 4,5,6,7 और 8 Disability Inclusion Action Plans से सम्बन्धित हैं जो सभी सरकारी विभागों और स्थानीय काउंसिलों के यहाँ होनी आवश्यक हैं ताकि विकलांगता से ग्रस्त लोगों के समावेश का प्रचार करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले काम को दस्तावेज़ी रूप दिया जा सके।

सवाल 4:

Sax institute समीक्षा में NSW की सरकारी संस्थाओं और स्थानीय सरकारी Disability Inclusion Action Plans (DIAPs) से सम्बन्धित सूचना दी गई थी।

क्या अधिनियम को केवल NSW की सरकारी संस्थाओं और स्थानीय सरकार, DIAPs से बढ़कर अधिक संस्थाएँ शामिल करनी चाहिए? यदि ऐसा है, तो आपको क्या लगता है कि किन अन्य समूहों के लिए DIAP का होना आवश्यक होना चाहिए?

सवाल 5:

क्या Disability Inclusion Action Plans विकलांगता से ग्रस्त लोगों की और अधिक सामुदायिक सहभागिता और समावेश को हासिल करने में प्रभावी हैं? यदि नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इन्हें बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ताकि विकलांगता से ग्रस्त लोगों की सहभागिता और समावेशन को सुनिश्चित किया जा सके?

सवाल 6:

संस्थाओं को अपने Disability Inclusion Action Plans की तैयारी करने में सहायता करने के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं? आपके अनुसार उनके लिए अपनी योजनाओं को प्रारूप देने के लिए कौन से चरण पूरे करने ज़रूरी होने चाहिए?

सवाल 7:

क्या Disability Inclusion Action Plans में शामिल अंश अभी भी उचित हैं, या क्या इसमें ऐसे भाग हैं जो आपको लगता है कि इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें से हटाए जाने या शामिल किए जाने चाहिए?

सवाल 8:

क्या Disability Inclusion Action Plans के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें सूचना कैसे देनी चाहिए और उन्हें किसे रिपोर्ट करना चाहिए?

6

Disability Council NSW

6.1 Disability Council क्या करती है

Disability Council NSW एक पीक बॉडी (औद्योगिक संस्थाओं का संघ) है जो NSW में विकलांगता से ग्रस्त लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। काउंसिल Families, Communities and Disability Services के मंत्री को स्वतंत्र सलाह देती है। इसकी शुरुआत Community Welfare Act 1987 के अधीन हुई थी और अब यह अधिनियम की धारा 15 के अधीन संचालन करता है।⁴

अधिनियम के तहत, Disability Council निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:⁵

- विकलांगता से ग्रस्त लोगों और उनके परिवारों के संबंध में सरकारी नीति को लागू करने की निगरानी करना
- विकलांगता से ग्रस्त लोगों से सम्बन्धित उभरते मुद्दों पर मंत्री महोदय को सलाह देना
- समुदाय में विकलांगता से ग्रस्त लोगों के समावेशन का प्रचार करना
- विकलांगता से ग्रस्त लोगों और उनके परिवारों की रूचियों से सम्बन्धित मामलों की सामुदायिक जागरूकता का प्रचार करना
- विकलांगता से ग्रस्त लोगों, अन्य पीक बॉडीज़ के साथ सलाह-मशवरा करना और विकलांगता से ग्रस्त लोगों से सम्बन्धित मामलों के बारे में अनुसंधान करना
- सरकारी प्राधिकरणों और मंत्री महोदय को DIAPs के विषय-वस्तु और कार्यान्वयन के बारे में सलाह देना
- किसी सरकारी प्राधिकरण से जानकारी या सलाह लेने का निवेदन करना ताकि अपने प्रकार्य किए जा सकें
- अपने प्रकार्यों को अमल में लाने के बारे में मंत्री महोदय को सूचित करना, इसमें मंत्री महोदय द्वारा निवेदन की गई कोई जानकारी शामिल है।

सवाल 9, 10 और 11 Disability Council NSW के बारे में पूछ रहे हैं। काउंसिल को किन कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और काउंसिल का सदस्य कौन होना चाहिए?

सवाल 9:

क्या Disability Council के प्रकार्य उचित बने रहते हैं? क्या कोई ऐसे अतिरिक्त प्रकार्य हैं जो काउंसिल को और अधिक प्रभावी या सुलभ बनाए जाने के लिए काउंसिल पर लागू होने चाहिए?

⁴Disability Inclusion Act 2014 की धारा 15।

⁵Disability Inclusion Act 2014 की धारें 17 और 19।

सवाल 10:

NSW में NDIS की शुरुआत किए जाने का Disability Council के कार्य पर क्या कोई प्रभाव पड़ा है? क्या उनकी भूमिका पर दोबारा ध्यान केन्द्रित करने की ज़रूरत है, और यदि हाँ तो कैसे?

6.2 Disability Council का भाग कौन है?

Disability Council में आठ से 12 के बीच सदस्य होने चाहिए। काउंसिल के अधिकांश सदस्य विकलांगता से ग्रस्त लोग होने चाहिए। यह ज़रूरी है कि अध्यक्ष विकलांगता से ग्रस्त कोई व्यक्ति हो, और उसके पास उचित योग्यताएँ और अनुभव हो।

सदस्य चार वर्षों के लिए अपनी भूमिका पर नियुक्त रहते हैं। अध्यक्ष और उप-अध्यक्ष एक वर्ष तक अपनी कार्यकारी भूमिकाओं पर नियुक्त रहते हैं। सभी को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। सदस्यों को गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाना (और हटाया जाना) चाहिए।⁶ यह Families, Communities and Disability Services के मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव पर आधारित है। अध्यक्ष और उप-अध्यक्ष (यदि वे मौजूदा सदस्य हैं) की नियुक्ति मंत्री महोदय द्वारा की जाती है।⁷

सवाल 11:

क्या Disability Council NSW की सदस्यता से संबंधित प्रावधान उचित बने रहते हैं? यदि नहीं, तो सदस्यता में क्या शामिल होना चाहिए?

⁶ Disability Inclusion Act 2014 की धारा 16(1) और अनुच्छेद 1, खण्ड 4(2)।

⁷ Disability Inclusion Regulation 2014 (NSW) का खण्ड 14।

7

समर्थनों और सेवाओं के लिए वित्त-पोषण

अधिनियम के भाग 4 और 5 में विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए फंडिंग समर्थनों और सेवाओं के बारे में जानकारी शामिल है। यह केवल अल्पावधि के लिए है, जब तक कि NSW में NDIS की पूरी तरह से शुरुआत नहीं हो जाती।

7.1 यह सुनिश्चित करना कि प्रदाता मानकों के समूह को पूरा करते हैं

अधिनियम का भाग 4 मंत्री महोदय को समर्थित समूह आवास और विनियम के द्वारा केन्द्र-आधारित राहत के लिए विकलांगता सेवा मानकों और आवासीय मानकों का निर्माण करने की क्षमता देता है। विकलांगता सेवा मानक Disability Inclusion Regulation 2014 के अनुच्छेद 1 में निर्धारित हैं। कोई आवासीय मानक बनाए नहीं गए हैं।

अधिनियम यह आवश्यक बनाता है कि NSW की सरकार द्वारा वित्त-पोषित विकलांगता सेवा प्रदाता विकलांगता सेवा मानकों का अनुपालन करें।

NDIS अभ्यास मानक

NDIS Quality and Safeguards Commission अब NDIS समर्थनों और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा का विनियमन करता है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी पंजीकृत प्रदाता NDIS अभ्यास के मानकों का अनुपालन करते हैं।

अधिनियम के अधीन बनाए गए विकलांगता सेवा मानकों की आवश्यकता नहीं है। इनका स्थान NDIS अभ्यास मानकों ने ले लिया है।

7.2 समर्थन और सेवाएँ

Department of Communities and Justice के सेक्रेटरी 'लक्षित समूह' में किसी व्यक्ति को सेवाएँ, समर्थन और/या व्यक्तिगत फंडिंग प्रदान कर सकते हैं। यह अधिनियम की धारा 5 का भाग है।

सेक्रेटरी 'पात्र इकाईयों' (eligible entities) को भी फंडिंग प्रदान कर सकता है। ऐसा इसलिए ताकि वे 'लक्षित समूह' के लोगों को समर्थन या सेवाएँ प्रदान कर सके। यह अधिनियम की धारा 29 का भाग है।

‘लक्षित समूह’ क्या है?

‘लक्षित समूह’ की परिभाषा NDIS की पात्रता पर आधारित है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करती है जो ऐसी विकलांगता से ग्रस्त है जो:

- बौद्धिक, संज्ञानात्मक, स्नायविक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक या शारीरिक विकार से, या विकारों के संयोजन से उत्पन्न हुई हो, और
- स्थायी हो या इसके स्थायी होने की संभावना हो, और
- इसके व्यक्ति की जीवन में काम करने की क्षमता में महत्वपूर्ण तौर पर कमी आती है, और
- इसके फलस्वरूप समर्थन की ज़रूरत होती है, जो कि अन्य समयावधियों की तुलना में कभी-कभी अधिक हो सकता है।

‘पात्र इकाईयाँ’ (eligible entities) क्या होती हैं?

‘पात्र इकाईयों’ में शामिल हैं:

- सरकारी विभाग या संस्थाएँ
- स्थानीय काउंसिल
- कॉर्पोरेशन या बॉडी कॉर्पोरेट (जिसमें गैर-सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं)
- सोल ट्रेडर्स
- सहभागिताएँ
- विनियम में निर्धारित अन्य इकाईयाँ।

कुछ ‘पात्र इकाईयों’ के लिए फंडिंग की शर्तें

‘पात्र इकाईयों’ के लिए फंडिंग की कुछ शर्तें हैं। ऐसा इसलिए यदि वे गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र, या बेकार सेवा और दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा उपाय के तौर पर काम करते हैं। शर्तों में शामिल हैं:

- इस सिद्ध करना कि वे अधिनियम के भाग 4 के अधीन विकलांगता सेवा मानकों का अनुपालन करते हैं
- कुछ निश्चित कर्मचारियों, स्वयंसेवियों और समिति के सदस्यों की पूर्ण अखंडता जांच करते हैं
- यह सलाह देते हैं कि फंडिंग का प्रयोग कैसे किया जाएगा।

अधिनियम की धाराओं 33 और 34 के अधीन, सेक्रेटरी फंडिंग स्थगित या बंद कर सकता है। इसे फंडिंग का निलंबन या अंत भी कहते हैं। धारा 24 में फंडिंग को समाप्त करना शामिल है जहाँ सेक्रेटरी यह मानता है कि NDIS की शुरुआत के कारण अब इसकी ज़रूरत नहीं है।⁸ इन फैसलों की समीक्षा NSW Civil and Administrative Tribunal द्वारा की जा सकती है।⁹

⁸ Disability Inclusion Act 2014 (NSW) की धारा 34(1)(b)।

⁹ Disability Inclusion Act 2014 (NSW) की धारा 35।

NDIS अंतरिम सुरक्षा उपायों का स्थान लेती है।

NDIS ने NSW की सरकार द्वारा विकलांगता समर्थनों और सेवाओं के प्रबंधन और वित्त-पोषण का स्थान लिया है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2018 को हुई थी, जब NSW में NDIS ने पूर्ण रूप से संचालन करना शुरू किया था।

NDIS Quality and Safeguards Commission की शुरुआत 1 जुलाई 2018 को हुई थी। आयोग अधिनियम के अधीन निर्धारित सुरक्षा उपायों की अंतरिम प्रणाली का स्थान लेती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई प्रदाता NSW में NDIS के लिए रजिस्टर करना चाहता है, तो उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कर्मचारियों की जांच करें। इनमें राष्ट्रीय तौर पर अनुरूप कर्मचारी स्क्रीनिंग जांच शामिल है।

इन्हें नए National Disability Insurance Scheme (Worker Checks) Act 2018 (NSW) के अधीन वैधानिक रूप दिया गया है।¹⁰ Worker Checks Act के अधीन, किसी रजिस्टर्ड प्रदाता के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए NDIS Worker Check क्लियरेंस करें।

सवाल 12 अधिनियम के उन भागों के बारे में पूछ रहा है जो सेवा सुपुर्दगी के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। निर्धारित व्यक्तिगत सेवाएँ अब NDIS के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, क्या इन धाराओं के किन्हीं भागों को नए अधिनियम में शामिल किए जाने की ज़रूरत है या नहीं?

सवाल 12:

NSW में NDIS की शुरुआत किए जाने के बाद से Disability Inclusion Act 2014 के भाग 4 और 5 क्या भूमिका निभाते हैं? क्या कोई ऐसे अंश हैं जिन्हें बनाए रखे जाना चाहिए, और यदि हाँ, तो क्यों?

¹⁰ National Disability Insurance Scheme (Worker Checks) Act 2018 (NSW) की शुरुआत 28 नवम्बर 2018 को हुई थी।

8

विविध प्रावधान

अधिनियम में निम्नलिखित से सम्बन्धित कई अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं:

- अधिनियम के अधीन जिम्मेदारियाँ सौंपना –केवल मंत्री महोदय और सेक्रेटरी ही ऐसा कर सकते हैं
- सूचना के गलत प्रकटीकरण के लिए अपराध की रचना करना
- अधिनियम को अमल में लाए जाने में किसी मामले के लिए व्यक्तिगत देयता या नेक नीयत में किए किसी काम से लोगों की सुरक्षा करना।
- अधिनियम के अधीन विनियम बनाने का अधिकार देना।¹¹

सवाल 13:

क्या अधिनियम से सम्बन्धित आपकी कोई अन्य टिप्पणियाँ हैं जिन्हें आप प्रकट करना चाहते/चाहती हैं?

¹¹Disability Inclusion Act 2014 (NSW) की धाराएँ 42-51।